

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

ज्ञापांक...185... दिनांक...15/06/2024

## पंजी II सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप

आवेदक/आवेदिका श्री अशोक कुमार, पिता राम पलक राय, साकिन हीरापुर, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद जिला धनबाद, मोबाईल संख्या 9905647778, आधार संख्या 2874 6598 2366 द्वारा मौजा हीरुपुर, मौजा नम्बर 7, खाता संख्या 44, प्लॉट नम्बर 349, रकवा 2925 वर्गफीट जमीन किस्म रैयती हेतु पंजी II के सत्यापन की मॉग पत्र/आवेदन समर्पित हैं। (आवेदन प्रति मूल रूप से संलग्न) संलग्न शपथ पत्र में वर्णित हैं कि वादगत जमाबंदी से संबंधित किसी भी स्तर पर किसी भी न्यायालय में, कोई वाद लंबित नहीं है।

श्री राहुल कुमार सिंह, राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अग्रसारित जाँच प्रतिवेदन प्रति मूल रूप से संलग्न द्वारा प्रमाणित किया गया है कि :-

“आवेदित भूमि मौजा हीरुपुर, मौजा नम्बर 7, खाता संख्या 44, प्लॉट नम्बर 349, रकवा 2925 वर्गफीट जमीन किस्म रैयती गत सर्वे के अनुसार रैयती खाते की भूमि है। (खाता का छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित संलग्न)

गत सर्वे के आधार पर पुरानी पंजी II (थोका पंजी) में जमाबंदी संख्या 2588 में अशोक कुमार, पिता राम पलक राय के नाम से दर्ज है। (स्वहस्ताक्षरित पंजी II की छायाप्रति संलग्न)

ऑनलाईन झारभूमि पोर्टल में भाग वर्तमान 11 पृष्ठ संख्या 2588 के जमाबंदी संख्या 2588 में अशोक कुमार, पिता राम पलक राय के नाम से अंकित है। (छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित संलग्न)

ऑनलाईन पंजी II में विवरणी दाखिल खारिज वाद संख्या 47 वर्ष 1989-90 के आधार पर अशोक कुमार, पिता राम पलक राय के नाम से कायम की गयी है।”

अतः पंजी II का सत्यापन प्रमाण पत्र, आवेदक/आवेदिका श्री अशोक कुमार, पिता राम पलक राय, साकिन हीरापुर, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद जिला धनबाद, मोबाईल संख्या 9905647778, आधार संख्या 2874 6598 2366 द्वारा दिनांक 24.04.2024 को समर्पित तथा नोटरी सर्तीफिकेट 81 तारीख 24.04.2024 एवं राजस्व उप निरीक्षक श्री राहुल कुमार सिंह के द्वारा अनुशासित एवं अग्रसारित प्रतिवेदन के आलोक में निर्गत की जा रही है। जमाबंदी रैयत से आवेदक/आवेदिका का संबंध स्वयं का है।



Handwritten signature and date: 15-06-24

Handwritten signature and date: 15/6/2024

अंचल अधिकारी,  
धनबाद।